न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 54/2020/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 07.08.2020
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट 1956

उनवान

लटूर आत्मज रतीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गूंथा तहसील के0 पाटन, जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील के0पाटन, जिला बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना अभिभाषक–अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 18/2007 उनवान सरकार बनाम लटूर आ0 रतीराम में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2007 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार, के0 पाटन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र 14(4) बाबत् आवंटन निरस्तीकरण का पेश कर वर्णित किया गया कि आवंटी लटूर आत्मज रतीराम गुर्जर निवासी गूंथा, तह0 के0पाटन को मिसल सं0 1276 दिनांक 24.12.1975 द्वारा ग्राम गूंथा के खसरा सं0 13 की रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी तथा दिनांक 24.12.1975 को ही कब्जा संभला दिया गया था। लेकिन आवंटी का वर्तमान में कब्जा न होकर बबूल के पेड़ लगे हुए है, इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट लटूर आत्मज रतीराम का प्रश्नगत आराजी से आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 22.12.2007 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.12.2007 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2007 कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के साक्ष्य नहीं होने तथा मात्र प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही आधार मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है, जो जमाबंदी से पूर्णतया प्रमाणित था तथा बैंक के द्वारा ऋण भी इस आधार पर स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि दिनांक 24.12.1975 को आवंटित की गई तथा रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 31 वर्ष पश्चात् 2006 में प्रार्थना–पत्र

प्रस्तुत किया गया। इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2007 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन बहाल रखा जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के साक्ष्य नहीं होने तथा मात्र प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है, जो जमाबंदी से पूर्णतया प्रमाणित था तथा बैंक के द्वारा ऋण भी इस आधार पर स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 31 वर्ष पश्चात् 2006 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2007 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन बहाल रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 1994 SC Page 1128, 2016(4) RLW Raj. HC Page 3181 पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अपीलांट द्वारा अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, के0 पाटन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र 14(4) बाबत् आवंटन निरस्तीकरण का पेश कर वर्णित किया गया कि आवंटी लटूर आत्मज रतीराम गुर्जर निवासी गूंथा, तह0 के0पाटन को मिसल सं0 1276 दिनांक 24.12.1975 द्वारा ग्राम गूंथा के खसरा सं0 13 की रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी तथा दिनांक 24.12.1975 को ही कब्जा संभला दिया गया था। लेकिन आवंटी का वर्तमान में कब्जा न होकर बबूल के पेड़ लगे हुए है, इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट लटूर आत्मज रतीराम का प्रश्नगत आराजी से आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 22.12.2007 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का तर्क रहा है कि आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के साक्ष्य नहीं होने तथा मात्र प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है तथा 31 वर्ष पश्चात् 2007 में आवंटन निरस्त

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

किया जाना न्याय के विरूद्ध है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, के0 पाटन के द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) बाबत् आवंटन निरस्तीकरण का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने बाबत् अवसर प्रदान किया गया तथा अपीलांट स्वयं तारीख पेशी दिनांक 19.07.2007 को उपस्थित रहा है। इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालाय के द्वारा नियमित तारीख पेशीयों पर अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 19.12.2007 को अपीलांट के अभिभाषक के उपस्थित होने के बावजूद जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया जाकर निर्णय दिनांक 22.12.2007 पारित किया गया। तहसीलदार, के0 पाटन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) दिनांक 27.10.2006 के साथ संलग्न गिरदवारी सम्वत् 2058 – 2061 अनुसार आवंटित भूमि पड़त होना अंकित है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोनार्थ आवंटन) नियम, 1970 अन्तर्गत सशर्त आवंटन किया गया था, किंतु अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन दिनांक 24.12.1975 को निर्णय दिनांक 22.12.2007 से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 18/2007 उनवान सरकार बनाम लटूर आ0 रतीराम में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2007 में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा